राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक.प.23(60)गृह-5/2012 जयपुर, दिनांक अगस्त 03, 2012

परिपत्र

विषय: आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान पत्रावलियों के स्थानान्तरण व अनुसंधान अधिकारी बदलने के सम्बन्ध में नीति।

वर्तमान में अनुसंधान स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं है। किसी प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने अथवा स्वयं द्वारा प्रसंज्ञान लेने पर प्रकरणों के स्थानान्तरण आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, गृह विभाग, महानिदेशक पुलिस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा (सिविल राईट्स सहित), महानिरीक्षक पुलिस रेन्ज, जिला पुलिस अधीक्षक, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, महिला आयोग, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर जारी किये जाते रहे हैं। यह भी निर्धारित नहीं है किसी एक प्रकरण को अधिकतम कितनी बार स्थानान्तरित किया जा सकता है। वस्तुतः वर्तमान में इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की नीति का पूर्ण अभाव है।

प्रकरणों का अनुसंधान बार-बार स्थानान्तरित होने के अनेक मामले सामने आये हैं। बार-बार अनुसंधान स्थानान्तरण से विभिन्न अनुसंधान अधिकारियों के द्वारा अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुँचा गया है क्योंकि अधिकतर अनुसंधान चश्मदीद गवाहान के कथनों पर निर्भर करते हैं और बार-बार कथन लेखबद्ध करने पर उनमें काफी भिन्नताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। बार-बार अनुसंधान स्थानान्तरण से अनुसंधान अधिकारियों पर कार्य का दबाव भी बढ़ता है तथा निस्तारण में भी विलम्ब होता है जिससे पीड़ित को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। साथ ही, न्यायालय में ट्रायल के दौरान पूर्व अनुसंधान अधिकारियों द्वारा दिये गये निष्कर्षों में भिन्नता का फायदा बचाव पक्ष को मिलता है।

इस विषय पर गहनता पूर्वक मनन करने के उपरांत राज्य सरकार ने अनुसंधान पत्रावलियों के स्थानान्तरण व अनुसंधान अधिकारी बदलने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीति निर्धारित की है:-

अनुसंधान स्थानान्तरण हेतु सक्षम प्राधिकारी:

(1) जिला स्तर पर अनुसंधान का स्थानान्तरण केवलमात्र जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ही किया जा सकेगा।

(2) रेंज स्तर पर अनुसंधान का स्थानान्तरण केवलमात्र रेंज महानिरीक्षक पुलिस द्वारा ही किया जा सकेगा।

(3) राज्य स्तर पर अनुसंधान का स्थानान्तरण महानिदेशक पुलिस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (सी.बी.), अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स द्वारा ही किया जा सकेगा।

(4) राज्य सरकार भी अनुसंधान स्थानान्तरण हेतु आदेश प्रसारित कर सकेगी।

<u>अनुसंधान स्थानान्तरण की प्रक्रिया :-</u>

(1) परिवाद प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से अनुसंधान स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(2) जिला/रैंज स्तर पर अनुसंधान स्थानान्तरण से पूर्व अनुसंधानकर्ता से विचार-विमर्श आवश्यक होगा।

(3) अनुसंधान स्थानान्तरण से पूर्व प्रकरण की पत्रावली, तथ्यात्मक रिपोर्ट व सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक/वृत्ताधिकारी (जैसी स्थिति हो) की टिप्पणी प्राप्त की जाएगी। तत्पश्चात् विस्तृत समीक्षा कर अनुसंधान की वर्तमान स्थिति एवं दिशा पर टिप्पणी अंकित की जाएगी।

(4) अनुसंधान स्थानान्तरण से पूर्व पत्रावली पर स्थानान्तरण के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

(5) नवीन अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान पूर्ण करने की अपेक्षित समय सीमा का उल्लेख किया जाएगा।

(6) अनुसंधान स्थानान्तरण सामान्यतः समकक्ष अथवा उच्चतर स्तर के अधिकारी को किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में कनिष्ठ अधिकारी से अन्वेषण कराने पर पत्रावली पर कारणों का उल्लेख किया जाएगा। यह व्यवस्था सी.आई.डी. (अपराध शाखा) अथवा एस.ओ.जी. में स्थानान्तरित प्रकरणों पर लागू नहीं होगी।

(7) सामान्यतः जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुसंधान का स्थानान्तरण सम्बन्धित सर्किल में ही किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में पत्रावली पर कारण अंकित करते हुए ही जिले में सर्किल से बाहर अनुसंधान का स्थानान्तरण किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण का पर्यवेक्षण (supervision) तथा निस्तारण जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(8) सामान्यतः जिलों में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण को प्रकरण अनुसंधान हेतु स्थानान्तरित नहीं किये जाऐंगे। विशेष परिस्थितियों में पत्रावली पर कारण अंकित करते हुए ही ऐसा किया जा सकेगा।

(9) सामान्यतः रैंज महानिरीक्षक पुलिस द्वारा अनुसंधान का स्थानान्तरण सम्बन्धित जिले में ही किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में पत्रावली पर कारण अंकित करते हुए ही रैंज में जिले से बाहर अनुसंधान का स्थानान्तरण किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण का पर्यवेक्षण (supervision) तथा निस्तारण रैंज महानिरीक्षक पुलिस द्वारा किया जाएगा।

(10) सामान्यतः सी.आई.डी. (सी.बी.) / महानिदेशक पुलिस / राज्य सरकार द्वारा अनुसंधान का स्थानान्तरण एक रैंज से दूसरी रैंज में नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में पत्रावली पर कारण अंकित करते हुए ही अनुसंधान स्थानान्तरण

एक रेंज से दूसरी रेंज में किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण का पर्यवेक्षण (supervision) सी.आई.डी. (अपराध शाखा) अथवा सिविल राईट्स, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाएगा।

(11) एस.ओ.जी. में प्रकरण स्थानान्तरण हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी. से परामर्श तथा महानिदेशक पुलिस की अनुमति आवश्यक होगी।

(12) एक बार राज्य अपराध शाखा अथवा एस.ओ.जी. द्वारा अनुसंधान करने के उपरान्त जिले अथवा रेंज में पुनः अनुसंधान नहीं कराया जा सकेगा।

(13) राज्य सरकार के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान स्थानान्तरण का प्रस्ताव हो, तो सर्वप्रथम प्रकरण की समीक्षा सी.आई.डी. (अपराध शाखा) अथवा सिविल राईट्स, जैसी भी स्थिति हो, से करवाई जाएगी। तदुपरान्त अनुसंधान स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

(14) एक प्रकरण का अनुसंधान तीन से अधिक बार स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

(15) यदि स्थानान्तरित प्रकरण का क्रास (cross) प्रकरण हो, तो उसका अनुसंधान भी साथ ही नये अनुसंधानकर्ता को सुपुर्द किया जाएगा।

03/08/2012

(अशोक सम्पतराम)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह

1- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री महोदय
2- विशिष्ठ सहायक, मा0 गृह राज्य मंत्री महोदय
3- उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
4- महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आपके अधिनस्थ सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस नीति की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाने का श्रम करें।
5- विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
6- रक्षित पत्रवली

03/08/2012

(अशोक सम्पतराम)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह

(जगदीप सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव